

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रकरण क्रमांक 129/2012 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 08.05.2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. रामनिवास पुत्र जगदीशप्रसाद अग्रवाल, उम्र 49 वर्ष। निवासी वार्ड क्रमांक 18, गोहद थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
2. हरदेवसिंह पुत्र पूरनसिंह, उम्र 55 वर्ष।
3. संतोष सिंह पुत्र पूरनसिंह, उम्र 59 वर्ष, समस्त निवासी हरगोविंदपुरा थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0
4. जगदीशप्रसाद पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल, निवासी वार्ड क्रमांक 18 गोहद, थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

.....**फौत**

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशव सिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 200/2012 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 129/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा एवं श्री भगवती राजौरिया अधिवक्तागण।

//नि-र्ण-य//

//आज दिनांक 22.04.2017 को घोषित किया गया//

01. प्रकरण में आरोपीगण पर दिनांक दिनांक 10.12.2014 को गोहद में फरियादी राघवेन्द्र सिंह व राजेशसिंह के साथ छल किया और एतद् द्वारा गोहद चौराहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 747 रकवा 0.01 के संबंध में प्रवंचित किया और इस प्रकार उन्हें उत्प्रेरित किया कि उस भूमि का जिस पर कि उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है उसका हक त्याग बिलेख सम्पादित करवाने एवं दिनांक 26.12.1989 को गोहद चौराहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 554/1

(नवीन सर्वे क्र. 747) के संबंध में गोहद में उक्त भूमि जो कि पूर्व में बिक्रय हो चुकी थी उसके संबंध में पंजीकृत बिक्रयविलेख महेन्द्र पुत्र वेदरी से गोहद में कूटरचित दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किया गया एवं उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर बिक्रयविलेख की कूट रचना इस आशय से की कि उसे छल के प्रयोजन में उपयोग में लाया जाएगा। तथा उनके द्वारा वर्ष 1989 के उपरांत कूट रचित बिक्रय विलेख दिनांक 26.12.1989 को कपटपूर्वक/बेईमानीपूर्वक असली के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु उसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की, जबकि आरोपीगण यह जानते/विश्वास रखने का कारण रखते थे कि वह कूट रचित दस्तावेज है। के संबंध में आरोपीगण पर भा0द0वि0 की धारा 420, 467, 468, 471 का आरोप है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि तत्कालीन तहसीलदार गोहद श्री अनिल तिवारी के द्वारा एक लेखीय आवेदनपत्र क्रमांक 831 दिनांक 26.07.2010 में कूटरचित फर्जी बिक्रयपत्रों के आधार पर नामांतरण करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही बावत् निर्देशित किया गया, जिसमें कि आवेदक राघवेन्द्रसिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र की जाँच अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा प्र0कं0 43/09-10वीं 121 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2010 में कूटरचित फर्जी बिक्रयपत्रों के आधार पर नामांतरण कराने वाले एवं फर्जी रजिस्ट्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अनैतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के आरोप में विधि अनुसार कार्यवाही करने बावत् निर्देशित किया गया। बिक्रेता महेन्द्रसिंह पुत्र वेदरी जाटव एवं क्रेता संतोषसिंह पुत्र पूरनसिंह सिख निवासीगण हरगोविंदपुरा मजरा श्यामपुरा, जगदीशप्रसाद पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल निवासी गोहद चौराहा एवं हरदेवसिंह पुत्र पूरनसिंह सिख निवासी हरगोविंद पुरा मजरा श्यामपुरा एवं रामनिवास पुत्र जगदीशप्रसाद अग्रवाल निवासी गोहद चौराहा के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर से पुलिस थाना गोहद के द्वारा दिनांक 12.08.2010 को आरोपी महेन्द्र, संतोष, जगदीशप्रसाद, हरदेव एवं रामनिवास के विरुद्ध अप0कं0 176/10 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी महेन्द्र की मृत्यु हो जाने से शेष आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय सत्र न्यायालय के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

03. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा।

तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी – अनिल कुमार तिवारी (अ.सा. 1), एस0के0दुवे (अ.सा.2), राघवेन्द्र तोमर (अ.सा.3), उमेश सिंह तोमर (अ.सा.4), देवेन्द्र सिंह जादौन (अ.सा.5), शवाजीराव माने (अ.सा.6), एन सी. यादव (अ.सा.7), आर.बी.सिंह (अ.सा.8) का परीक्षण कराया गया

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फसाया जाना अभिकथित किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं-

1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 10.12.2014 को गोहद में फरियादी राघवेन्द्र सिंह व राजेशसिंह के साथ छल किया और एतद् द्वारा गोहद चौराहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 747 रकवा 0.01 के संबंध में प्रवंचित किया और इस प्रकार उन्हें उत्प्रेरित किया कि उस भूमि का जिस पर कि उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है उसका हक त्याग बिलेख सम्पादित करवाया?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 26.12.1989 को गोहद चौराहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 554/1 (नवीन सर्वे क्र. 747) के संबंध में गोहद में उक्त भूमि जो कि पूर्व में बिक्रय हो चुकी थी उसके संबंध में पंजीकृत बिक्रय विलेख महेन्द्र पुत्र वेदरी से गोहद में कूटरचित बिक्रयविलेख दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किया गया?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर बिक्रयविलेख की कूट रचना इस आशय से की कि उसे छल के प्रयोजन में उपयोग में लाया जाएगा?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा वर्ष 1989 के उपरांत कूट रचित बिक्रय विलेख दिनांक 26.12.1989 को कपटपूर्वक/बेईमानीपूर्वक असली के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु उसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की, जबकि आरोपीगण यह जानते/विश्वास रखने का कारण रखते थे कि वह कूट रचित दस्तावेज है?
5. दण्डादेश यदि कोई हो?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 05 :-

06. साक्ष्य की सुगमता एवं पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
07. प्रकरण में आरोपीगण पर गोहद चौराहा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 554/1 रकवा 0.282 हे0 में से .021 हे0 भूमि को छल पूर्वक बिक्रय करना, कूट रचित दस्तावेजों की रचना करना एवं कूट रचित दस्तावेजों को छल के रूप में उपयोग में लाये जाने का आरोप है।
08. घटना के संबंध में यदि प्रकरण का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड द्वारा थाना प्रभारी थाना गोहद को दिया गया लिखित आवेदन प्र.पी. 1 के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर महेन्द्रसिंह, संतोषसिंह, जगदीशप्रसाद, हरदेवसिंह एवं रामनिवास के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करें। यदि इस संबंध में साक्षी अनिल कुमार तिवारी अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसे एस.डी.ओ. गोहद के द्वारा निर्देशित किया गया था कि कूट रचित अभिलेख के आधार पर कय बिक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे, किन्तु उसके द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। यदि इस साक्षी के सम्पूर्ण कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का ऐसा कहना नहीं रहा है कि किन व्यक्तियों द्वारा भूमि को बिक्रय किया गया और किन व्यक्तियों के द्वारा भूमि के बिक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया गया। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि उसने संबंधित थाना प्रभारी को संबंधित राजस्व अभिलेखों की कोई प्रति भेजी थी अथवा नहीं। यहाँ तक कि इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने थाने में जो पत्र भेजा था उसके साथ उसने जाँच रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज नहीं भेजे थे।
09. प्रकरण आरोपीगण पर छलपूर्वक हक त्याग कराने का भी आरोप है, किन्तु इस संबंध में साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि राघवेन्द्र सिंह के द्वारा किस के पक्ष में हकत्याग लिखा गया था। ऐसी स्थिति में साक्षी अनिल कुमार तिवारी अ0सा0 1 जो रिपोर्टकर्ता है के कथनों से केवल यह दर्शित होता है कि इस साक्षी

के द्वारा केवल मात्र अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा दिए गए निर्देश पर केवल आरोपीगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी पत्र लिखा गया था। इस साक्षी को प्रकरण के तथ्यों की विषयवस्तु की न तो जानकारी है और न ही इस साक्षी के द्वारा कोई दस्तावेज देखे गए हैं और न ही इस साक्षी ने कोई दस्तावेज संबंधित अनुसंधानकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराए हैं।

10. साक्षी एस.के. दुवे अ0सा0 2 तत्कालीन एस.डी.एम. गोहद के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसके समक्ष राघवेन्द्रसिंह द्वारा एक आवेदनपत्र सर्वे क्रमांक 554 और बंदोवस्त का नवीन सर्वे क्रमांक 747 में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अधिकार विहीन विक्रयपत्र राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर तैयार कराने के संबंध में प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच कर आवेदन की एक प्रति तहसीलदार गोहद को भेजी गई थी और कार्यवाही का निर्देश दिया था। इस साक्षी के द्वारा कोई जाँच की गई हो, उसमें कोई निष्कर्ष निकाला हो ऐसा इस साक्षी का कहना नहीं रहा है।

11. यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी एस.के. दुवे अ0सा0 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि संतोषसिंह और हरदेवसिंह ने जब वयानामा कराया था तब राजस्व दस्तावेजों में महेन्द्रसिंह का नाम दर्ज था अथवा नहीं। इस साक्षी का ऐसा भी कहना नहीं रहा है कि कौन से दस्तावेजों की कूट रचना की गई वह दस्तावेज उसने देखे थे और वह दस्तावेज कूट रचित पाए गए थे। यह साक्षी आवेदनपत्र प्राप्त होने पर जाँच तहसीलदार गोहद को भेजने के संबंध में कथन करता है। तत्कालीन तहसीलदार अनिल कुमार तिवारी अ0सा0 1 आवेदन के आधार पर जाँच करने संबंधी कथन करता है, किन्तु किसी प्रकार की जाँच की गई हो, उस जाँच में क्या तथ्य आया ऐसा कोई दस्तावेज आवेदन के साथ पुलिस थाना गोहद को नहीं भेजा गया है, बल्कि केवल प्र.पी. 1 के आवेदन में अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 49/09-10 वी-121 के आधार पर केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई जाने संबंधी कथन किया है, किन्तु यदि इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 का अवलोकन किया गया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में स्पष्ट यह कहना रहा है कि उनके द्वारा थाने को दिनांक 18.05.2010 को पत्र लिखा गया था। एस.डी.ओ. के आदेश प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा कोई जाँच नहीं की गई थी। यह साक्षी इस आशय के कथन करता है कि चूंकि उसने पहले ही जाँच कर ली थी, किन्तु जाँच के कोई दस्तावेज इस साक्षी ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किए हैं। यहाँ तक कि इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने थाने को रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए थे। यहाँ तक यह साक्षी प्रकरण के

तथ्यों को बताने में भी असमर्थ रहा है।

12. साक्षी राघवेन्द्र सिंह अ0सा0 3 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने मौजा छीमका में सर्वे क्रमांक 747 की भूमि अपने भाई राजेश के नाम से क़य की थी, उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने अपने भाई के पक्ष में 50,000/- रूपए के हक़ त्याग वर्ष 2004 में लिखा था, उसके बाद जगदीश के द्वारा अनुबंध कराने से विवाद उत्पन्न हो गया था, किन्तु यदि इस साक्षी के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने मुख्य परीक्षण में ऐसा कहना नहीं रहा है कि उसे किसी भी आरोपी ने हक़ त्याग के लिए वाध्य किया था, उत्प्रेरित किया था या उकसाया था। इस साक्षी का यह भी कहना नहीं रहा है कि उसने भूमि क़य करने का अनुबंध किसी व्यक्ति से किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि संतोषसिंह और हरदेवसिंह ने महेन्द्रसिंह से वयनामा कराया था या नहीं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि यह साक्षी अपने कथों में इस तथ्य की पुष्टि भी करता है कि जिस समय उसने हक़ त्याग कराया था राजस्व दस्तावेजों में ग्याप्रसाद का नाम था अथवा नहीं। साथ ही साक्षी के इस आशय के कथन कि ग्याप्रसाद का उस समय राजस्व रिकॉर्ड में तीन विश्वा के भू-स्वामी थी और इस संबंध में उसने नज़ूल विभाग प्रमाणपत्र भी लिया था। साथ ही इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि रामनिवास ने उसे बिक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया था।

13. साक्षी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 4 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई है। इस साक्षी के द्वारा साक्षियों के कथन लिए गए हैं, किन्तु साक्षी के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का कहना रहा है कि उसने पत्र प्राप्ति के उपरांत प्रथक से कोई जाँच नहीं की। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी के द्वारा केवल साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर साक्षी अनिल कुमार तिवारी अ0सा0 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण की विवेचना पूर्ण की गई है। प्र.पी. 1 के दस्तावेज के साथ इस साक्षी द्वारा तहसीलदार से कोई जाँच रिपोर्ट या कोई दस्तावेज जिसमें कूट रचना किया जाना या षड्यंत्र किया जाना प्रमाणित हो प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक नहीं समझा है। साक्षी आर.बी.सिंह अ0सा0 7 के द्वारा प्रकरण में अग्रिम विवेचना की गई है, किन्तु इसके द्वारा भी कूट रचना के संबंध में प्रथक से कोई जाँच नहीं की और न ही कोई दस्तावेज जप्त किए हैं।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आर्टिकल ए1 लगायत ए5 के बिक्रयपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं जो कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 554/1 से संबंधित है। प्रथम बिक्रयपत्र वेदरिया पुत्र गनेशा द्वारा बलवीर सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया है, तत्पश्चात् आर्टिकल ए2 लगायत ए5 के सभी बिक्रयपत्र

जो कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में है और उक्त चारों बिक्रयपत्रों में महेन्द्रसिंह द्वारा विवादित भूमि का रकबा .021 हे0 भूमि बिक्रय किए गए हैं। निश्चित रूप से एक ही भूमि को बार बार बिक्रय किया जाना संभव नहीं है। बिक्रयपत्र किस आधार पर निष्पादित कराया गया इस संबंध में कोई जाँच विवेचनाधिकारी द्वारा नहीं की गई है।

15. साक्षी शिवाजीराव माने अ0सा0 6 जो कि उप पंजीयक गोहद के पद पर पदस्थ थे ने अपने कथनों में उक्त बिक्रयपत्र निष्पादित होना एवं कार्यालय में प्रतियाँ होने के तथ्य की पुष्टि की है, किन्तु यदि इस साक्षी के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति उनके कार्यालय में आता है तो रजिस्ट्री कराने के पूर्व भूअधिकार ऋण पुस्तिका एवं खसरा की नकल देखकर ही रजिस्ट्री करते हैं और भूअधिकार ऋण पुस्तिका में बिक्रेता का नाम होने के उपरांत ही रजिस्ट्री कराई जाती है। स्वभाविक सी स्थिति है कि यदि एक बार बिक्रय करने के पश्चात् दुवारा महेन्द्रसिंह के द्वारा बिक्रयपत्र निष्पादित कराए गए हो तब निश्चित रूप से राजस्व दस्तावेजों में महेन्द्रसिंह का नाम दर्ज रहा होगा अथवा उप पंजीयक द्वारा उचित रूप से दस्तावेजों की जाँच नहीं की गई है। यह ऐसा तथ्य है जो कि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज एवं उपपंजीयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।

16. प्रकरण में सभी बिक्रयपत्र जिनको विवादित कहा गया है महेन्द्रसिंह द्वारा निष्पादित किया जाना दर्शाया गया है और इस पर कोई विवाद नहीं है, किन्तु प्रकरण प्रकरण में महेन्द्रसिंह प्रारंभ से ही आरोपी नहीं है। अंतिम तर्कों के दौरान यह दर्शाया गया है कि महेन्द्रसिंह की अभियोगपत्र प्रस्तुति से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। विवेचनाधिकारी द्वारा अपने अभियोगपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महेन्द्रसिंह की मृत्यु होने से प्रकरण प्रथक किया गया है। प्रकरण में जो शेष आरोपी बचे हैं उन पर विवादग्रस्त भूमि को बिक्रय करने के लिए अनुबंध करना, दुष्प्रेरित करना एवं दस्तावेजों की कूट रचना करने का आरोप है, किन्तु प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं अथवा जिन साक्षियों का ऊपर निर्णय में विवेचन किया गया है, उन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रकरण में विचारित आरोपी हरदेवसिंह, रामनिवास एवं संतोष सिंह पर ने किसी प्रकार से फरियादी राघवेन्द्रसिंह को प्रवंचित किया अथवा हक त्याग के लिए दुष्प्रेरित किया अथवा भूति को कपट पूर्व रूप से अंतरित करने के लिए छल किया। अभियोजन की ओर से कराए गए साक्षियों के कथनों के अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त आरोपीगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपित कृत्य में किसी प्रकार से सम्मिलित रहे हैं।

17. आरोपीगण के संबंध में यदि साक्षी देवेन्द्रसिंह जादौन अ0सा0 5 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि दिनांक 16.12.2004 को वह गोहद चौराहा में था और उसके सामने संतोष पटेल और हरदेव ने राजस्व संबंधी दस्तावेज राघवेन्द्र तोमर को बताए थे और कहा था कि उनको बैचने का प्रोगाम है, किन्तु यदि इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहा रहा है कि किस सर्वे कमांक के संबंध में विवाद था, किस भूमि के दस्तावेज दिखाए थे उसे याद नहीं है और न ही वह बता सकता है। आरोपी संतोष और हरदेव के द्वारा राघवेन्द्र को दस्तावेज दिखाए जाने संबंधी कथन प्रतिपरीक्षण में यदि साक्षी राघवेन्द्र के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का ऐसा कहना नहीं रहा है कि उसे संतोष पटेल एवं हरदेव ने कोई दस्तावेज बताए थे। यहाँ तक कि साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 3 का यह कहना रहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि संतोषसिंह और हरदेव ने महेन्द्र से वयनामा कराया था अथवा नहीं।

18. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ भ्रम हो गया था, क्योंकि राजस्व दस्तावेजों में इन्द्राज था और उसी कारण यह गलतफहमियाँ हुई, जैसे ही स्थिति स्पष्ट हुई पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया।

19. यह प्रथक विषय है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया और अब विवाद की स्थिति नहीं है, किन्तु प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह देखना होगा कि क्या आरोपित कृत्य अथवा अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अथवा नहीं?

20. दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपराध प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होगा, केवल अनुमान, आशंका या पूर्वानुमान के आधार पर किसी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में क्रेता महेन्द्रसिंह के संबंध में आर्टीकल ए2 लगायत ए5 के बिक्रयपत्र रिकार्ड पर है कि जमीन को बार बार बिक्रय किया गया, किन्तु प्रकरण में यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कि आरोपीगण ने फरियादी को किस प्रकार से महेन्द्रसिंह से भूमियाँ क़य करने अथवा अन्य व्यक्तियों को बिक्रय करने के लिए दुष्प्रेरित किया, सहयोग किया कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है।

21. दांडिक विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिये, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत बटकू, वैकटेश्वरलू एवं अन्य विरुद्ध लोक अभियोजक आंध्रप्रदेश राज्य, 2009 (1) सी.सी.एस.सी. (1) (एस.सी.) में यह अभिमत रहा है कि संदेह

युक्तियुक्त होना चाहिये। संदेह युक्तियुक्त कहा जाएगा, यदि वे मूर्त अटकलबाजियों के उत्साह से मुक्त हो। विधि सत्य की अपेक्षा किसी को अनुकूलता प्रदान नहीं कर सकती है। युक्तियुक्त संदेह को गठित करने के लिये उसे अतिभावनत्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिये। संदेह से साक्ष्य से या उसके अभाव से उद्भूत अभियुक्त व्यक्तियों को दोष के संबंध में वास्तविक और सारभूत संदेह होना चाहिये, जो केवल संदिग्ध आशंका के विरोध में हो। युक्तियुक्त संदेह काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभव संदेह नहीं होता, बल्कि कारण एवं सामान्य बुद्धि पर आधारित निष्पक्ष संदेह भी होता है। इसे मामले के साक्ष्य से उत्पन्न होना चाहिये।

22. दण्ड विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जितना गंभीर अपराध होता है, साक्ष्य का मान्य स्तर उतना ही मजबूत व उच्च कोटि का होना चाहिये। विधि न्याय केवल नैतिक दृढ़ विश्वास या संदेह के आधार पर अभियुक्त को दण्डित करने की अनुमति नहीं देती है। दण्डिक विचारण में सबूत का भार कभी भी अंतरित नहीं होता और यह सदैव स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे अपने मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत सरवन सिंह, रतन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, ए आई आर 1957 एस सी 637 में यह संप्रेक्षण दिया है कि:-

“संपूर्ण रूप से विचारित अभियोजन कहानी हो सकती है सच हो, किन्तु “सच हो सकती है” और “सच होनी ही चाहिये” के बीच गुजरने की अनिवार्य रूप से लंबी दूरी है और यह दूरी पूर्ण रूप से विधिक, विश्वसनीय एवं अनधिकषेपणीय साक्ष्य द्वारा ही पूरी की जानी चाहिये।”

24. गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में सबूत का मान्य स्तर क्या हो, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत परमजीत सिंह विरुद्ध उत्तराखंड राज्य 2011 (1) सी सी एस सी 253 (एस सी) में निम्नलिखित मार्गदर्शक संप्रेक्षण दिया है:-

A criminal trial is not a fairy tale wherein one is free to give flight to one's imagination and fantasy. Crime is an event in real life and is the product of an interplay between different human emotions. In

arriving at a conclusion about the guilt of the accused charged with the commission of a crime, the Court has to judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witnesses. Every case, in the final analysis, would have to depend upon its own facts. the Court must bear in mind that "human nature is too willing, when faced with brutal crimes, to spin stories out of strong suspicions." Though an offence may be gruesome and revolt the human conscience, an accused can be convicted only on legal evidence and not on accused on the basis of a moral conviction or suspicion alone. "The burden of proof in a criminal trial never shifts and it is always the burden of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt on the basis of acceptable evidence." In fact, it is a settled principle of criminal jurisprudence that the more serious the offence, the stricter to convict the accused. The fact since a higher degree of assurance is required to convict the accused. The fact the offence was committed in a very cruel and revolting, lest the shocking nature of crime induce an instinctive reaction against dispassionate judicial scrutiny of the facts and law."

महेन्द्रसिंह के साथ किसी प्रकार के कपटपूर्ण कृत्य में सहयोगी रहे हो अथवा सम्मिलित रहे। उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित कृत्य प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

26. परिणामतः आरोपी हरदेवसिंह, रामनिवास, संतोषसिंह को भा.द.वि. की धारा 420, 467, 468, 471 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

27. आरोपीगण जमानत पर है, उसके जमानत, बंधपत्र एवं मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

28. आरोपीगण को निर्णय की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे तथा अपर लोक अभियोजक के माध्यम से निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे।

29. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

30. आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं के अंतर्गत निरोध प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)